न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 136 / 2024

अनवान : –

1. रजीराम पुत्र बागाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी बिजारणिया तहसील रावतसर।

– वादी

बनाम्

1. कृष्णलाल पुत्र बागाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन कानसर तहसील नोहर।
2. कानाराम पुत्र बागाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन कानसर तहसील नोहर।
3. साहबराम पुत्र पुत्र बागाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन कानसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 15/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 19 की 22.10 बीघा भूमि कानाराम, राजेराम पि0 बागाराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी बिजारणिया तहसील नोहर खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 51 के ख0न0 19 मीन की 22.11 बीघा भूमि जिसके कृष्णलाल, साहबराम पि0 बागाराम जाति कुम्हार साकिन ढाणी बिजारणिया तहसील नोहर खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 19 मीन की 22.10 बीघा भूमि एवं ख0न0 19 मीन की 22.11 बीघा भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने आपसी सहमति से दिनांक 24.12.2004 को खाता विभाजन करवा लिया एवं बाद खाता विभाजन कानाराम पुत्र बागाराम के नाम ख0न0 19/2 मीन की 11.05 बीघा एवं राजेराम पुत्र बागाराम के नाम 19/1 मीन की 11.05 बीघा, साहबराम पुत्र बागाराम के नाम ख0न0 19/3 मीन की 11.05 बीघा एवं कृष्णलाल पुत्र बागाराम के नाम ख0न0 19/4 मीन की 11.06 बीघा भूमि हिस्से में आयी।

रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के कृषि भूमि मुताबिक खाता विभाजन के अनुसार एवं नामान्तरण संख्या 1261 दिनांक 24.12.2004 वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के सही तौर से दर्ज हुयी किन्तु वर्तमान जमाबंदी में मुताबिक खाता विभाजन के अनुसार कृषि भूमि दर्ज नही हुयी इसलिए रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के मुताबिक विभाजन के अनुसार वादी के नाम से ख0न0 19/2 की जगह 19/1 की 2.8450 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ख0न0 19/3 की जगह 19/4 की 2.8450 हैक्ट भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 2 के ख0न0 19/1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 16:49:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

की जगह ख0न0 19/2 की 2.8450 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 साहबराम के नाम ख0न0 19/4 की जगह ख0न0 19/3 की 2.8450 हैक्ट भूमि संशोधित करने के आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को केोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के कृषि भूमि मुताबिक खाता विभाजन के अनुसार एवं नामान्तरण संख्या 1261 दिनांक 24.12.2004 वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के सही तौर से दर्ज हुयी किन्तु वर्तमान जमाबंदी में मुताबिक खाता विभाजन के अनुसार कृषि भूमि दर्ज नही हुयी इसलिए रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के मुताबिक विभाजन के अनुसार वादी के नाम से ख0न0 19/2 की जगह 19/1 की 2.8450 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ख0न0 19/3 की जगह 19/4 की 2.8450 हैक्ट भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 2 के ख0न0 19/1 की जगह ख0न0 19/2 की 2.8450 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 साहबराम के नाम ख0न0 19/4 की जगह ख0न0 19/3 की 2.8450 हैक्ट भूमि संशोधित करने के आदेश फरमावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 16:49:11 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण [illegible] पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत [illegible] रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 19 की 22.10 बीघा भूमि कानाराम, राजेराम पि0 बागाराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी बिजारणिया तहसील नोहर खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

खाता स0 51 के ख0न0 19 मीन की 22.11 बीघा भूमि जिसके कृष्णलाल, साहबराम पि0 बागाराम जाति कुम्हार साकिन ढाणी बिजारणिया तहसील नोहर खातेदार काश्तकार है। वादी का कथन है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के कृषि भूमि मुताबिक खाता विभाजन के अनुसार एवं नामान्तरण संख्या 1261 दिनांक 24.12.2004 वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के सही तौर से दर्ज हुयी किन्तु वर्तमान जमाबंदी में मुताबिक खाता विभाजन के अनुसार कृषि भूमि दर्ज नही हुयी इसलिए रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के मुताबिक विभाजन के अनुसार वादी के नाम से ख0न0 19/2 की जगह 19/1 की 2.8450 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ख0न0 19/3 की जगह 19/4 की 2.8450 हैक्ट भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 2 के ख0न0 19/1 की जगह ख0न0 19/2 की 2.8450 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 साहबराम के नाम ख0न0 19/4 की जगह ख0न0 19/3 की 2.8450 हैक्ट भूमि संशोधित करने के आदेश फरमावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 19/2 की जगह 19/1 की 2.8450 हैक्ट भूमि का वादी को एवं ख0न0 19/3 की जगह 19/4 की 2.8450 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को एवं ख0न0 19/1 की जगह ख0न0 19/2 की 2.8450 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को एवं ख0न0 19/4 की जगह ख0न0 19/3 की 2.8450 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 16:49:11 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 136 / 2024

अनवान : –

1. रजीराम पुत्र बागाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ढाणी बिजारणिया तहसील रावतसर।

– वादी

बनाम्

1. कृष्णलाल पुत्र बागाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन कानसर तहसील नोहर।
2. कानाराम पुत्र बागाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन कानसर तहसील नोहर।
3. साहबराम पुत्र पुत्र बागाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन कानसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 136 सन 2024 निर्णय दिनांक – 15/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 19 / 2 की जगह 19 / 1 की 2.8450 हैक्ट भूमि का वादी को एवं ख0न0 19 / 3 की जगह 19 / 4 की 2.8450 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को एवं ख0न0 19 / 1 की जगह ख0न0 19 / 2 की 2.8450 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को एवं ख0न0 19 / 4 की जगह ख0न0 19 / 3 की 2.8450 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 16:49:11 IST
Reason: SelfAttested